Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में डिस्कॉम का कनिष्ठ अभियंता, अपने दलाल ठेकेदार एवं उसके कर्मचारी सहित 43 हजार 500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *27 अप्रेल, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये नरेन्द्र बाकोलिया, कनिष्ठ अभियंता, जे.वी.वी.एन.एल. पनियाला अतिरिक्त चार्ज नारेहड़ा, कोटपूतली, जयपुर, रधुवीर सिंह मीणा ठेकेदार एवं अजय कुमार सैनी ठेकेदार कर्मचारी को परिवादी से 43 हजार 500 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके कृषि कनेक्शन हेतु डीपी ईश्यू करने तथा लाईन खिंचवाने की एवज में नरेन्द्र बाकोलिया, कनिष्ठ अभियंता, जे.वी.वी.एन.एल. पनियाला अतिरिक्त चार्ज नारेहड़ा, कोटपूतली, जयपुर द्वारा अपने दलाल रधुवीर सिंह मीणा ठेकेदार एवं उसके कर्मचारी अजय कुमार सैनी के माध्यम से 1 लाख 25 हजार रुपये सरकारी खर्च के नाम पर तथा 20 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह शेखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री रघुवीर शरण** तथा उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये 1–नरेन्द्र बाकोलिया पुत्र श्री राजाराम ग्राम पोस्ट खेलना, थाना प्रागपुरा, जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, जे.वी.वी.एन.एल. पनियाला अतिरिक्त चार्ज नारेहड़ा, कोटपूतली, जयपुर 2–दलाल रधुवीर सिंह मीणा पुत्र श्री नथूराम मीणा निवासी सुखलावास, थाना सरूण्ड, कोटपूतली जयपुर हाल ठेकेदार एवं 3–उसके कर्मचारी अजय कुमार सैनी पुत्र श्री जयराम निवासी ढ़ाणी भौजासवाली, ग्राम व थाना सरूण्ड, कोटपूतली, जयपुर को परिवादी से 43 **हजार 500 रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपीगण द्वारा सरकारी खर्चे के रूप में 1 लाख 25 हजार रुपये परिवादी से लिये थे, जिनमें से केवल 1 लाख 1 हजार 500 रुपये ही सरकारी खाते में जमा करवाये गये, शेष 43 **हजार 500 रुपये की रिश्वत** के रूप में प्राप्त कर लिये।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।